संख्या-598/2021//आई/112210/41-1002/279/2019

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 03 नवम्बर 2021**

विषयः- पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना में स्पिरीचुअल सर्किट के अन्तर्गत् जनपद गोरखपुर स्थित गोरक्षनाथ मंदिर में साउण्ड एण्ड लाइट शो की अनुमोदित परियोजना में राज्य सरकार द्वारा संशोधित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-5792/एस0डी0/एससी0/141 दिनांक 24-01-2020 , पत्र सं0-1606/एस0डी0/एससी0-1 /2 (2)/25 दिनांक 06-08-2020, पत्र सं0-299/एस0डी0/एच0सी0/एससी0/1 /2 (2)/25 दिनांक 24-05-2021, पत्र सं0-1844/एस0डी0//एससी0/1 /2 (2)/25 दिनांक 10-08-2021 एवं पत्र सं0-2094/एस0डी0//एससी0/1 /2 (2)/25 दिनांक 19-08-2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना में स्पिरीचुअल सर्किट के अन्तर्गत् जनपद गोरखपुर स्थित गोरक्षनाथ मंदिर में साउण्ड एण्ड लाइट शो की अनुमोदित परियोजना में राज्य सरकार द्वारा कतिपय अन्य कार्यों को कराये जाने के फलस्वरूप इन कार्यों को कराये जाने हेतु चयनित कार्यदायी संस्था टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सलटेन्ट इण्डिया लि0(टी0सी0आई0एल0) भारत सरकार का उपक्रम द्वारा तैयार किये गये संशोधित आगणन रू0-628.89 लाख में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना की धनराशि रू0-420.00 लाख को समायोजित करते हुये संशोधित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु रू0-208.89 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-180/2018/3551/41-2018-40 (बजट)/2018 दिनांक 24-10-2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में मद सं0-39-जनपद गोरखपुर में स्थित पर्यटन स्थलों का विकास में प्राविधानित बजटीय व्यवस्था से जारी की गई थी।

3- उक्त पृष्ठभूमि में महानिदेशक पर्यटन द्वारा अपने पत्र दिनांक 24-01-2020 में यह उल्लेख किया गया कि शासनादेश सं0-180/2018/ 3551/41-2018-40 (बजट)/2018 दिनांक 24-10-2018 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0-400.00 लाख के स्थान पर त्रुटिवश रू0-420.00 लाख अंकित हो गई राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि रू0-228.89 लाख के स्थान पर त्रुटिवश रू0-208.89 लाख अंकित हो गई है। अतः प्रायोजना हेतु संशोधित आदेश जारी करने का अनुरोध करते हुये प्रायोजनान्तर्गत जी0एस0टी0 का भी प्राविधान कराये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया । महानिदेशक पर्यटन के पत्र दि0-19-08-21 द्वारा इस संबंध में विस्तृत आख्या उपलब्ध कराते हुये परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि रू0-400.00 लाख के आलोक में रू0-228.89 लाख + जी0एस0टी0 की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी करते हुये अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत् करने का अनुरोध किया गया है।

4- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु शासनादेश सं0-180/2018/3551/41-2018-40 (बजट)/2018 दिनांक 24-10-2018 द्वारा जारी की गई प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू0-208.289 लाख के स्थान पर राज्य सेक्टर से धनराशि रू0-228.89 लाख + जी0एस0टी0 (वास्तविक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भुगतान के आधार पर अनुमन्य) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना के संदर्भ में **शासनादेश सं0-180/2018/3551/41-2018-40 (बजट)/2018 दिनांक 24-10-2018** में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) प्रायोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय का होगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7-822/दस-2021 दिनांक 02 नवम्बर,2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- सचिव पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
4- मण्डलायुक्त गोरखपुर /जिलाधिकारी गोरखपुर।
5- मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
6- संबंधित उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- अधिशासी निदेशक, (सिविल) टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सलटेन्ट इण्डिया लि0(टी0सी0आई0एल0) नई दिल्ली।
9- मुख्य परियोजना प्रबंधक टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सलटेन्ट इण्डिया लि0(टी0सी0आई0एल0) नई दिल्ली।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी गोरखपुर ।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in